



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2015-कार्तिक 1, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी

दिनांक 01 अक्टूबर, 2015

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नगर विकास स्कीम क्रमांक-01 तैयार किए जाने बाबत

क्र. 3005/के.डी.ए./2015.—माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ, जबलपुर में विचाराधीन रिट याचिका क्रमांक डब्लू. पी./9239/2013, मेसर्स आन्नदम इन्फ्राटेक कटनी बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अध्यक्षीन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50 (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सर्व-साधारण की सूचना हेतु प्राधिकरण की झिझरी में प्रस्तावित आवासीय सह वाणिज्यिक योजना क्रमांक 01 के क्रियान्वयन हेतु स्कीम का प्रारूप तैयार कराया जा कर सर्व-साधारण, विभागों, निकायों एवं अन्य सम्बन्धितों से स्कीम के सम्बन्ध में सुझाव, दावे अथवा आपत्ति इस सूचना के दैनिक समाचार-पत्र/राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में लिखित में कार्यालय कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी, एन. एच.-7, शांति नगर, दुगाडी नाले के समीप, जिला कटनी में आमंत्रित की जाती है। स्कीम के प्रारूप (ले-आउट प्लान) का अवलोकन कार्यालय कार्य दिवसों में कार्यालय कटनी विकास प्राधिकरण, कटनी, जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश कलेक्ट्रेट कटनी एवं कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम मुडवारा-कटनी में किया जा सकता है।

उक्त विकास योजना निम्न विवरण में दर्शाए अनुसार क्षेत्र में बनाई जाना है। जिसकी चतुर्सीमा का विवरण निम्नानुसार है। ग्राम झिझरी पटवारी हल्का नं. 29 राजस्व नि. मं. मुडवारा, 2. तहसील कटनी, जिला कटनी के खसरा नं. 691, 692, 699, 700, 703, 704, 705/1, 722/1 क, 722/1 ख, 723 जिनका रकबा क्रमशः 0.03, 3.29, 2.90, 0.52, 1.29, 0.71, 43.70, 24.36, 6.28 एवं 2.52 कुल रकबा 85.60 हैक्टेयर शासकीय भूमि जो कि विकास प्राधिकरण को आवंटित है। जिसकी चौहदी निम्नवत है—

- उत्तर दिशा में.— खसरा नं. 622 शासकीय नहर, खसरा नं. 697, शासकीय नाला खसरा क्रमांक 698, 693, 994, 695, 696, 989, 690 एवं शासकीय भूमि 688 से लगी हुई है।
- दक्षिण दिशा में.— शासकीय भूमि खसरा नं. 739, 748/1, 722/1ड, 722/1ट, 722/1ज, 722/1 च से लगी हुई भूमि।
- पूर्व दिशा में.— 657/1, 668, 702/2, 708/2 तथा खसरा क्रमांक 765 राष्ट्रीय राज मार्ग एन. एच-7 से 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, से लगी हुई सीमा।

पश्चिम दिशा में.—

ग्राम गुलवारा की भूमि एवं खसरा क्रमांक 730 तथा 724, 731 ग्राम झिझरी से लगी हुई भूमि.

अमरपाल सिंह,

अपर कलेक्टर

सह. मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(409-बी.)

अन्य सूचनाएं**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जन्म प्रमाण-पत्र में मेरा नाम कु. माधुरी अंकित है जबकि सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम कु. शीरीन बागोरा अंकित है. अतः दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः भविष्य में मुझे शीरीन बागोरा के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(कु. माधुरी)

नया नाम :

(कु. शीरीन बागोरा)

पुत्री-श्री जगदीश बागोरा,

निवासी-2287, सेक्टर डी, सुदामा नगर

इंदौर.

(395-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अरूण ताम्रकार का दिनांक 27-01-2001 को मृत्यु हो गई. मृत्यु के पहले श्री अरूण ताम्रकार पत्नी श्रीमती सविता ताम्रकार की एक पुत्री कुमारी कशिश ताम्रकार है. मृत्यु उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती सविता ताम्रकार से मैंने विधिवत शादी किया है. अब कुमारी कशिश ताम्रकार पुत्री श्री नीरज ताम्रकार के नाम से जाना, पहचाना जाये.

(नीरज ताम्रकार)

तनू इलेक्ट्रिकल्स, भरहुत नगर चौक,

रीवा रोड, सतना (म.प्र.).

(396-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी कोमल तोरानी पुत्री श्री गौरीशंकर तोरानी था. मेरा विवाह 20 नवम्बर, 2013 को हिन्दु रीति-रिवाज कि साथ श्री जय आसवानी के साथ सम्पन्न हुआ है. विवाह उपरांत मेरा नाम बदलकर श्रीमति ईशा आसवानी पत्नी श्री जय आसवानी हो गया है. अतः अब मुझे श्रीमति ईशा आसवानी के नाम से ही जाना, पहचाना और पुकारा जाए.

पुराना नाम :

(कोमल तोरानी)

नया नाम :

(ईशा आसवानी)

पत्नी श्री जय आसवानी,

निवासी-मकान नं. 455, वन ट्री हिल्स,

बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.).

(397-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विजय किशन मुरारी है, लेकिन त्रुटिवश मेरे विभिन्न दस्तावेजों में कहीं विजय किशन और कहीं विजय कृष्ण या विजय कृष्ण मुरारी लिखा गया है. अतः भविष्य में सभी विभिन्न दस्तावेजों में मेरा सही नाम विजय किशन मुरारी पढ़ा जावे व लिखा जावे तथा भविष्य में मुझे उक्त सही नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

(विजय किशन)

(विजय कृष्ण/विजय कृष्ण मुरारी)

नया नाम :

(विजय किशन मुरारी)

07, कम्फर्ट पाम्स, ई-8, एक्सटेंशन,

अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.).

(398-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, हम अंजलि एवं राजेंद्र तुलसानी (अभिभावक) अपनी पुत्री रोमा आडवानी, निवासी-102, शिवा प्लाजा, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर का उपनाम आडवानी से तुलसानी परिवर्तित कर रहे हैं, अतः भविष्य में हमारी पुत्री को रोमा तुलसानी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

द्वारा अभिभावक :

अंजलि तुलसानी (माता)

राजेंद्र तुलसानी (पिता)

(399-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पहले अरविंदन व्ही. (Arvindan V.) स्व. श्री जी. व्ही. पिल्लई के नाम से जाना जाता था. अब आगे से मैं, अरविंदन नायर (Aravindan Nair) के नाम से जाना जाऊंगा. यह दोनों नाम मेरे ही हैं.

पुराना नाम :

(अरविंदन व्ही.)

(ARVINDAN V.)

नया नाम :

(अरविंदन नायर)

(ARAVINDAN NAIR)

सी/170, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.)

पिन-463039.

(400-बी.)

नाम परिवर्तन

मो. शाहिद पिता मो. शफिक, निवासी-टीटी एस टाइप-1-33, विध्यनगर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में मो. शाहिद खान पिता का नाम मो. शफिक खान और माता का नाम कमरून निशा दर्ज है. जो कि गलत है जबकि सही नाम मो. शाहिद पिता मो. शफिक एवं माता का नाम कमरून निशा है. अतः अंकसूची में सुधार कर सही नाम मो. शाहिद पिता मो. शफिक एवं माता का नाम कमरून निशा दर्ज किये जाने बाबत यह सूचना प्रकाशित की जा रही है.

पुराना नाम :

(मो. शाहिद खान)

नया नाम :

(मो. शाहिद)

टीटी एस टाइप-1-33, विध्यनगर,

जिला सिंगरौली (म.प्र.).

(401-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे. राजदीप ग्रीन वैली इण्टरप्राइजेस जो कि रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज मध्यप्रदेश पंजीयन क्र. 1/01/01/00241/14, दिनांक 28-08-2014 पर पंजीयत फर्म है जिसका कार्यालय 159, जोन-II एम. पी. नगर, भोपाल है जिसमें:-

1. श्री दीपक चौहान आत्मज स्व. श्री बी. एस. चौहान.
2. श्री प्रशांत कुमार सक्सेना आत्मज डॉ. एल. आर. सक्सेना.
3. श्री एस. के. माहेश्वरी आत्मज स्व. श्री के. जी. झँवर.
4. श्री अभिजीत सिंह आत्मज लेफ्टिनेंट विनय भदौरिया.
5. श्री वैभव निगम आत्मज श्री विनय शंकर निगम बतौर भागीदार कार्यरत थे. जिसमें से भागीदार क्र. 4 अभिजीत सिंह एवं भागीदार क्र. 5 वैभव निगम स्वेच्छा से दिनांक 08-07-2015 को भागीदारी से अलग हो गये हैं एवं लेफ्टिनेंट विनय भदौरिया आत्मज स्व. श्री एम. एस. भदौरिया एवं श्री अनिल कुमार निगम आत्मज स्व. श्री श्याम सुंदर निगम नवीन भागीदार के रूप में दिनांक 08-07-2015 से जुड़ गये हैं. अतः अब मैसर्स राजदीप ग्रीन वैली इण्टरप्राइजेस में:-

1. श्री दीपक चौहान
2. श्री प्रशांत कुमार सक्सेना

3. श्री एस. के. माहेश्वरी
4. लेफ्टिनेंट विनय भदौरिया
5. श्री अनिल कुमार निगम बतौर भागीदार कार्यरत हैं।

(402-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मे. श्री माँ रेनूका कन्स्ट्रक्शन द्वारका नगर, बड़ोरा, बैतूल फर्म एण्ड सोसायटी पंजीयन क्र.01/06/01/00211/09, सन् 2009-2010 व्यवसाय सिविल टेकेदारी में संशोधन उपरांत दिनांक 01-10-2015 से पार्टनर श्री रामानंद माथनकर रिटायर होकर उनके स्थान पर नया पार्टनर श्रीमती गीता माथनकर पति रामानंद माथनकर सम्मिलित हो रही हैं।

वास्ते-फर्म मे. श्री माँ रेनूका कन्स्ट्रक्शन

रामचंद्र देशमुख,

(प्रोपराइटर)

बैतूल (म.प्र.)

(403-बी.)

जाहिर सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा-72 के अधीन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स व्यंकटेश्वरा एग्रो फ्यूल, 5 शक्ति नगर, इन्दौर जो कि फर्म एवं संस्था कार्यालय इन्दौर में एक रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 03/27/03/00137/13, सन् 2013-14 है. उक्त फर्म में दिनांक 30-09-2015 से नये भागीदार के रूप में श्रीमती श्वेता जैन ने प्रवेश किया है व पुराने भागीदारों में से श्री सुनील खत्री एवं श्रीमती सरस्वती देवी दाधीच देवी फर्म से निवृत्त हो चुके हैं. अतः दिनांक 30-09-2015 से उक्त फर्म में भागीदार के रूप में श्री प्रदीप जैन व श्रीमती श्वेता जैन कार्यशील भागीदार रहेंगे. यदि इसमें किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में फर्म एवं संस्था कार्यालय इन्दौर में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

मैसर्स-व्यंकटेश्वरा एग्रो फ्यूल

भागीदारी फर्म द्वारा-प्रदीप जैन,

(भागीदार).

(404-बी.)

सूचना

मैसर्स टी. एन. एसोसियेट्स फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00087/05, सन् 2005-06 है इस फर्म में निम्न भागीदार पूर्व से हैं जो निम्नानुसार हैं- (1) श्रीमती कांति पांडे पति श्री ए. के. पांडे, (2) श्री ओमकार नाथ पांडे पिता स्व. उमाशंकर पांडे, (3) श्री पीयूष पांडे पिता श्री ए. के. पांडे, दिनांक 01-04-2015 में एक नये भागीदार श्री शरद पांडे पिता ओ. एन. पांडे को इस भागीदारी फर्म में लिया जा रहा है. इस बाबत सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सभी भागीदारों ने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं ली है. सन्द् रहे वक्त पर काम आवे.

प्रवीन रंजन श्रीवास्तव,

(एडवोकेट)

रानीताल चौक, पटेल मार्केट,

जबलपुर.

(405-बी.)

जाहिर सूचना

मेसर्स साहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर (एक पंजीकृत भागीदारी फर्म) द्वारा पुनर्गठन कर दिनांक 24-03-2014 के द्वारा भागीदार श्री दिनेश पिता श्री मूलचन्द्र सोमात्रे को भागीदारी फर्म से सेवा निवृत्त कर दिया गया है. सदर सूचना-पत्र भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित करवाया जा रहा है. अतः वर्तमान में सदर भागीदारी फर्म मेसर्स साहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर में मुझ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अतिरिक्त शेष भागीदारगण यथावत रहेंगे.

सूचनार्थ हेतु प्रेषित.

मेसर्स साहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर,

मनीष तिवारी,

पिता-श्री चन्द्रशेखरजी तिवारी

(भागीदार)

13-14, यू. जी. सिल्वर संचोरा केसल,

आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र.).

(406-बी.)

जाहिर सूचना

मेसर्स आर. सी. डेवलपर्स (भागीदारी फर्म) द्वारा पुनर्गठन कर दिनांक 31-12-2014 के द्वारा भागीदारगण—1. श्रीमती रामकन्याबाई पिता श्री प्रल्हादसिंह ठाकुर (पति श्री मानसिंह चौहान), 2. मेसर्स आर. सी. जी. रियलिटी प्रा. लि. व 3. श्री विजय अग्रवाल पिता श्री रामचन्द्रजी अग्रवाल को भागीदारी फर्म से सेवा निवृत्त कर दिया गया है। सदर सूचना-पत्र भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित करवाया जा रहा है। अतः वर्तमान में सदर भागीदारी फर्म मेसर्स आर. सी. डेवलपर्स में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अतिरिक्त शेष नहीं है। सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

मेसर्स आर. सी. डेवलपर्स

(तर्फे भागीदार)

मेसर्स राधेश्वरी डेवलपर्स प्रा. लि.

अजय चौहान,

1-ए, रूपायतन अपार्टमेंट, 31/4,

न्यू-पलासिया, इन्दौर (म.प्र.).

(407-बी.)

जाहिर सूचना

मेसर्स जी. आर. प्रोजेक्ट्स (भागीदारी फर्म) द्वारा पुनर्गठन कर दिनांक 31-01-2015 के द्वारा भागीदारगण 1. श्री देवशिशु अग्रवाल पिता श्री विजय अग्रवाल, 2. मेसर्स एरो बिल्डटेक प्रा. लि. व 3. मेसर्स आर. सी. रियलिटी प्रा. लि. को भागीदारी फर्म से सेवा निवृत्त कर दिया गया है। सदर सूचना-पत्र भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित करवाया जा रहा है। अतः वर्तमान में सदर भागीदारी फर्म मेसर्स जी.आर. प्रोजेक्ट्स में मुझे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अतिरिक्त शेष नहीं है। सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

मेसर्स जी. आर. प्रोजेक्ट्स

(तर्फे भागीदार)

मेसर्स ग्राफिक्स बिल्डकॉन प्रा. लि.

विजय अग्रवाल,

1-ए, रूपायतन अपार्टमेंट, 31/4,

न्यू-पलासिया, इन्दौर (म.प्र.).

(408-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्यामसुन्दर फगुनमल फर्म जिसका पता शाप नम्बर-78, नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0012/15, दिनांक 10-04-2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसके भागीदार 1. श्री श्यामसुन्दर पिता श्री फल्गुनमल होतचंदानी, 2. श्री राहुल चावला पिता श्री किशोरीलाल चावला एवं 3. श्रीमती खुशी चावला पति श्री राहुल चावला थे. दिनांक 27-06-2015 से 1. श्री श्यामसुन्दर पिता श्री फल्गुनमल होतचंदानी उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है, अब फर्म श्यामसुन्दर फगुनमल से कोई लेना-देना नहीं है यह विदित हो.

तर्फे-

मेसर्स श्यामसुन्दर फगुनमल

1. श्री राहुल चावला पिता श्री किशोरीलाल चावला,

2. श्रीमती खुशी चावला पति श्री राहुल चावला,

(भागीदार).

(411-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स गोरधनदास जीवनदास फर्म जिसका पता शाप नम्बर-207 (राईपिंग चेम्बर), नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/0079/15, दिनांक 15-06-2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री हरीश डेमला पिता श्री गोरधनदास डेमला, 2. श्री कन्हैयालाल चावला पिता श्री आसरदास चावला एवं 3. श्री सुरेन्द्र कुमार वाधवानी पिता श्री तोताराम वाधवानी थे. दिनांक 13-07-2015 से 1. श्री हरीश डेमला पिता श्री गोरधनदास डेमला उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं. इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है, अब फर्म गोरधनदास जीवनदास से कोई लेना-देना नहीं है यह विदित हो.

तर्फे-

मेसर्स गोरधनदास जीवनदास

1. श्री कन्हैयालाल चावला पिता श्री आसरदास चावला,

2. श्री सुरेन्द्र कुमार वाधवानी पिता श्री तोताराम वाधवानी,

(भागीदार).

(410-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, धार, जिला धार

धार, दिनांक 17 सितम्बर, 2015

फॉर्म नम्बर-3

[देखिए नियम-4 (2)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (तीस 1951) की धारा-4 के तहत न्यास पंजीयन बाबत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला धार.

क्र. 3153/रीडर-1/2014.—चूंकि ट्रस्ट “दिगम्बर जैन हिन्दुस्तान सेवा संघ न्यास” के न्यासी चंद्रमति माताजी प्रधान संचालिका, निवासी दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मानतुंगगिरी, ग्राम आमखेड़ा ने इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाबत मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है, याद रखे कि ऊपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 17 अक्टूबर, 2015 को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बाबत कोई विरोध कराने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीर करें और मेरे समक्ष दिनांक 17 अक्टूबर, 2015 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुई आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	“दिगम्बर जैन हिन्दुस्तान सेवा संघ न्यास”
चल सम्पत्ति	:	1. वर्तमान में ट्रस्ट के पास 1,111/- स्थायी कोष में प्राप्त हैं. 2. स्टील के बर्तन (थाली, गिलास, लौटा, कटोरी, चम्मच, तपेला, इत्यादि) टेबल नग 30, सिंहासन 2 नग, पालना 1 नग, अलमारी 20 नग, बगीचे के झूले 4 नग, पानी प्याऊ 1 नग.
अचल सम्पत्ति	:	1. शासन से लीज में प्राप्त सर्वे नम्बर 84, 85, 86 कुल रकबा 4.009 हैक्टेयर. 2. ग्राम आमखेड़ा स्थित भूमि पर पहाड़ी पर स्थित मंदिर व मानतुंगाचार्य मंदिर व इसी भूमि पर क्षेत्रपाल जी की छत्री, त्यागी वृत आहार कक्ष, संत भवन (दो कमरे, एक हॉल). 3. भक्ताम्बर धर्म चक्र एवं ध्यान केन्द्र, धर्मशाला (अतिथि निवास 7 कमरे) औषधालय 2 कमरे, पाठशाला 1 कमरा, मांगलिक भवन 1 हॉल, 5 कमरे, मनोकामना पूर्ण गुरु मंदिर, ट्यूबवेल, बोरिंग, भोजनशाला, कर्मचारी कक्ष, भगवान आदिनाथ चैत्यालय, भक्ताम्बर सभा मण्डप समाधि स्थल 2 छत्री, करीब 7 वृक्ष.

आज दिनांक 17 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

(542)

धार, दिनांक 17 सितम्बर, 2015

फॉर्म नम्बर-3

[देखिए नियम-4 (2)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (तीस 1951) की धारा-4 के तहत न्यास पंजीयन बाबत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला धार.

क्र. 3153/रीडर-1/2014.—चूंकि ट्रस्ट श्री हरकचंद मोतीलाल मित्तल लोकहित न्यास के न्यासी डॉ. उमेश पिता हरकचंद मित्तल, निवासी मित्तल फॉर्म हाउस ग्रसम जैतपुरा ने इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाबत मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है, याद रखे कि ऊपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 17 अक्टूबर, 2015 को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बाबत कोई विरोध कराने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीर करें और मेरे समक्ष दिनांक 17 अक्टूबर, 2015 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुए आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम : श्री हरकचंद मोतीलाल मित्तल लोकहित न्यास
चल सम्पत्ति : 11,000/- रुपये नगद
अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक 17 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

नीरज कुमार सिंह,

(IAS)

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(542-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

राजीव बुनकर सहाकारी समिति मर्या., पढ़ाना, पंजीयन क्रमांक AR/RJH /928, दिनांक 11 जुलाई, 1998 को इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/521, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-99/15/एफ-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव बुनकर सहकारी समिति मर्या., पढ़ाना को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत श्री तालीब मोहम्मद अंसारी, सहायक संचालक हाथकरघा, सांरगपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(534-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

चर्मोघोग सहाकारी संस्था मर्या., सांरगपुर, पंजीयन क्रमांक AR/RJH /628, दिनांक 09 दिसम्बर, 1997 को इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/495, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-99/15/एफ-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चर्मोघोग सहाकारी संस्था मर्या., सांरगपुर पंजीयन को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत प्रबंधक, खादी ग्रामोघोग राजगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(534-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

राजीव गांधी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., जीरापुर, पंजीयन क्रमांक AR/RJH /610, दिनांक 05 मई, 1995 को इस कार्यालय के सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/524, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के

अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था. निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससे प्रकट होता है कि समिति को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-99/15/एफ-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., जीरापुर को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत श्री विजय सिंह राजपुत, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

मुकेश कुमार जैन,
उप-पंजीयक.

(534-Q)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 5 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1839.—राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./185, दिनांक 10 जनवरी, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत आदेश क्र./पी/15/429, दिनांक 17 मार्च, 2015 के द्वारा, संस्था सदस्यों के निर्णय कि, संस्था को पुनः क्रियाशील कर कार्ययोजना के आधार पर एक सक्षम इकाई बनाया जायेगा एवं संस्था के सभी सदस्य मिलकर सहकारी विधान एवं संस्था की उपविधि अनुसार संस्था का संचालन करेंगे. के आधार पर संस्था को पुनर्जीवित करते हुये, तीन माह हेतु गठित कार्यकारिणी समिति को निर्देशित किया गया था कि संस्था तीन माह के अन्दर नवीन कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल को विधिवत् आवेदन कर निर्वाचन करावे.

संस्था के पुनर्जीवन के पाँच माह के पश्चात् भी संस्था द्वारा विधिवत् निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया. संस्था के उक्त कृत्य से कार्यालयीन आदेशों/निर्देशों की अवहेलना, अनुत्तर-दायित्वपूर्णता एवं अक्रियाशीलता प्रकट हुयी.

अतः संस्था को उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1503, दिनांक 24 अगस्त, 2015 द्वारा "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी करते हुये दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. संस्था द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को प्रस्तुत उत्तर में उल्लेखित किया गया कि पूर्व कमेटी का कार्यकाल भंग किये जाने एवं उक्त आदेश निरस्त हो जाने से अवशेष अवधि के कार्यकाल को बढ़ाये जाने हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2015 को कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतः संस्था द्वारा विधिवत् आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

संस्था का पुनर्जीवन 17 मार्च, 2015 को हुआ, तीन माह की अवधि 16 जून, 2015 को समाप्त हुई, संस्था द्वारा पुराने कार्यकाल को बढ़ाने का आवेदन 01 अगस्त, 2015, (31 जुलाई, 2015) को प्रस्तुत किया गया, उपरोक्तानुसार पुराने कार्यकाल के समय में नवीन संचालक मण्डल के कार्यकाल को जोड़ने का आवेदन विधि सम्मत न होने से संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है.

अतः मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. डी. परिहार, अंकेक्षण अधिकारी, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

संजय दलेला,
उप-पंजीयक.

(536)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 31 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बामोरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 146, दिनांक 09 अगस्त, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में संस्था के पत्र दिनांक 10 जून, 2015 द्वारा संस्था के अकार्यशील होने के कारण पंजीयन निरस्त करने

का अनुरोध किये जाने एवं सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र./स.पं.सा./अंकेक्षण/15/829, दिनांक 06 जुलाई, 2015 द्वारा संस्था के अध्यक्ष के आवेदन पर संस्था को परिसमापन में लाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही हेतु लेख किये जाने से कार्यालयीन पत्र क्र. विधि/15/1712, सागर, दिनांक 08 जुलाई, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस के अन्दर उत्तर चाहा गया था. निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों को संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1/99 पन्द्रह 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बामोरा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्र. 146, दिनांक 09 अगस्त, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(537)

सागर, दिनांक 31 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत]

लाल बहादुर महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बरा (बण्डा), जिला सागर, पंजीयन क्र. 1233, दिनांक 16 मार्च, 2007 की कार्यालय के द्वारा की गई जांच में यह संज्ञान में आया है कि उपभोक्ता सहकारी भण्डार द्वारा अपना कार्यालय पंजीयन रजिस्टर में पंजीयन पते पर संचालित नहीं किया जा रहा है. सहकारी भण्डार को आवंटित उचित मूल्य की दुकान के दुकान आवंटन के प्राधिकार-पत्र में सोसायटी के प्रबंधक का नाम श्री मुन्ना लाल जैन उल्लेखित किया गया, जबकि जांच के दौरान प्रबंधक के रूप में श्री हल्ले भाई पाल द्वारा कार्य किया जाना पाया गया.

जांच प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक विधि/15/1711, सागर दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये लाल बहादुर महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बरा (बण्डा), जिला सागर को धारा-69 की उपधारा-3 के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भण्डार को धारा-69 की उपधारा (2) ख एवं ग के अनुसार कार्यवाही न करने के कारण परिसमापन की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुये, यदि उपर्युक्त कारणों के संबंध में भण्डार अपना अभ्यावेदन/जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो 15 दिवस के अन्दर उत्तर प्रस्तुत करने का लेख किया गया था. निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि संस्था सदस्यों की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतएव उपर्युक्त कारणों से संस्था (भण्डार) को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1/99 पन्द्रह 1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, के अन्तर्गत लाल बहादुर महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बरा (बण्डा), जिला सागर पंजीयन क्र. 1233, दिनांक 16 मार्च, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा को आदेश जारी होने के दिनांक से उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-पंजीयक.

(537-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

गज लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1742, दिनांक 03 मार्च, 2010 आदेश क्रमांक 2574, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की निष्क्रियता व अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

अतः सहकारिता के सिद्धांतों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./2574, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69 (4) के अन्तर्गत गज लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 1742, दिनांक 03 मार्च, 2010 को पुनर्जीवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति का आगामी निर्वाचन होने तक श्री एम. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(538)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 480, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जस्साखेड़ी, तह. बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 607, दिनांक 07 मई, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 15 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(538-A)

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/2351.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1482, दिनांक 03 जुलाई, 2013 द्वारा दुर्गेश्वरी अगरबत्ती निर्माण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1646, दिनांक 9 जून, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(538-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 147, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूनीजा, जिसका पंजीयन क्रमांक 612, दिनांक 06 जून, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(538-C)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 29 सितम्बर, 2015

क्र./परि./2015/442.—आदिवासी मुर्गी पालन सह. सं. मर्या., उदयपुरिया, तहसील थांदला, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 966, दिनांक 09 अक्टूबर, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./451-5, दिनांक 25 अगस्त, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 28 सितम्बर, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 28 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(539)

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./854, दिनांक 07 सितम्बर, 2015 द्वारा निम्न सहकारी संस्था को सहकारी सोसायटी 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परि. में लाने का आदेश क्रमांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चन्देरी, तह. सीहोर, जिला सीहोर.	832/11-10-1983	क्र./परि./15/854/7-9-2015

अतः मैं, डी.सी. जैन, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर एवं उक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य अन्य पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नकदी हो, तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे। अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(540)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./633, दिनांक 16 जुलाई, 2015 द्वारा निम्न सहकारी संस्था को सहकारी सोसायटी 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परि. में लाने का आदेश क्रमांक
1.	नवीन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., जामनपुरा, सीहोर	757/17-01-1978	क्र./परि./15/633/16-7-2015

अतः मैं, डी.सी. जैन, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर एवं उक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य, अन्य पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे। अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

डी. सी. जैन,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(540-A)

कार्यालय परिसमापक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर

सागर, दिनांक 31 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/499.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेश क्र./परि./2015/219, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा मुझे श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गंगाराम, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 147, दिनांक 25 अगस्त, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी गंगाराम, विकासखण्ड सागर, जिला सागर की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो, तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सोंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सोंपे गये हैं, तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

सी. एस. झा,

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(541)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2015-कार्तिक 1, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 जून, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है:—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कराहल, विजयपुर (श्योपुर), घाटीगांव (ग्वालियर), दतिया, भाण्डेर (दतिया), नरवर (शिवपुरी), गुना, राघोगढ़, बमोरी, आरोन, चांचोड़ा, कुंभराज (गुना), निवाड़ी (टीकमगढ़), बड़ामल्हरा, बक्सवाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पवई (पन्ना), खुरई, बंडा, सागर, रेहली, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), मझगावां, रामपुर-वघेलान, अमरपाटन, बिरसिंहपुर (सतना), हजूर (रीवा), सोहागपुर, जैसिंगनगर, बुढ़ार, जैतपुर (शहडोल), गोपदबनास, सिहावल, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), जावद (नीमच), थांदला, मेघनगर, पेटलावद, राणापुर (झाबुआ), नेपानगर (बुरहानपुर), विजयराघौगढ़, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही (कटनी), गोटेगांव (नरसिंहपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर (श्योपुर), डबरा (ग्वालियर), करैरा (शिवपुरी), टीकमगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़) लवकुशनगर (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर (पन्ना), गढ़ाकोटा (सागर), रघुराजनगर, उचेहरा, रामनगर, मैहर (सतना), गोहपारू (शहडोल), अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), पाली (उमरिया), मंझौली (सीधी), मंदसौर, कयामपुर (मंदसौर), नीमच (नीमच), झाबुआ (झाबुआ), बड़वानी (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), ब्यावरा (राजगढ़), वनखेड़ी (होशंगाबाद), रीठी (कटनी), निवास (मंडला), शाहपुरा (डिण्डौरी), तामिया (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, भितरवार (ग्वालियर), सेंवड़ा (दतिया), शिवपुरी, पिछोर (शिवपुरी), जतारा (टीकमगढ़), नौगांव (छतरपुर), जैतहरी (अनूपपुर), बांधवगढ़, भानपुरा (उमरिया), भानपुर (मंदसौर), मनासा (नीमच), कुक्षी, धरमपुरी (धार), खकनार (बुरहानपुर), बैरसिया (भोपाल), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, बरेली, सिलवानी (रायसेन), सिवनी-मालवा, सोहागपुर, पचमढी (होशंगाबाद), कटनी, बड़वारा (कटनी), नारायणगंज (मंडला), हरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील खनियाधाना, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), गौरीहार, छतरपुर, राजगनगर (छतरपुर), देवरी, शाहगढ़ (सागर), नागौद (सतना), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), सुबासराटप्पा, मल्हारगढ़, गरौठ, श्यामगढ़, सीतामऊ, धुन्धड़का, संजीत (मंदसौर), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा, सोण्डवा, उदयगढ़, च. शेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, मनावर, गंधवानी,

डही (धार), महेश्वर, सेगांव, खरगौन, गोगांवा, कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, पाटी, निवाली (बड़वानी), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), बैरागढ़ (भोपाल), सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी (सीहोर), गोहरगंज, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), होशंगाबाद, वावई, इटारसी, पिपरिया (होशंगाबाद), करेली, नरसिंहपुर, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), बिछिया, नैनपुर, मंडला, घुघरी (मंडला), डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ड) 245.0 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील बड़वाह (खरगौन), पांडुर्ना (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, देवास, झाबुआ, बड़वानी, सीहोर, रायसेन, कटनी, मंडला में खरीफ फसलों की जुताई व बैतूल, डिण्डोरी में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला होशंगाबाद में फसल सोयाबीन व डिण्डोरी में मक्का, सोयाबीन व सागर, शहडोल, अनूपपुर, मंदसौर, उज्जैन, देवास, झाबुआ, धार, इन्दौर, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, हरदा, मंडला व छिन्दवाड़ा में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 24 जून, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1.	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगाढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	22.0				
2. कराहल	16.4				
3. विजयपुर	4.0				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	42.2				
2. डबरा	22.5				
3. भितरवार	36.0				
4. घाटीगांव	4.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	36.0				
2. दतिया	2.0				
3. भाण्डेर	3.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	53.0				
2. पिछोर	44.0				
3. खनियाधाना	56.0				
4. नरवर	17.0				
5. करैरा	31.7				
6. कोलारस	120.0				
7. पोहरी	93.0				
8. बदरवास	157.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ...	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	7.4		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	8.0		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	11.0				
4. आरोन	17.0				
5. चाचौड़ा	6.0				
6. कुम्भराज	9.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	9.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	47.0				
4. टीकमगढ़	20.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	22.0				
7. ओरछा	25.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. लवकुशनगर	25.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	76.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	52.8				
4. छतरपुर	118.4				
5. राजनगर	76.2				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	4.8				
8. बक्स्वाहा	7.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	4.6		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	28.0		उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	27.0		चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर,		
4. पवई	8.0		मटर, आलू, प्याज.		
5. शाहनगर	..		(2) ..		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	1.3		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	2.4		समान.		
4. सागर	16.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	2.0				
6. देवरी	54.0				
7. गढ़ाकोटा	29.0				
8. राहतगढ़	6.5				
9. केसली	13.0				
10. मालथोन	5.0				
11. शाहगढ़	125.0				

1	2	3	4	5	6
*जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हटा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. बटियागढ़	..		(2) ..		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	24.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	7.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	4.0				
4. नागौद	111.3				
5. उचेहरा	21.0				
6. अमरपाटन	12.0				
7. रामनगर	28.0				
8. मैहर	30.0				
9. बिरसिंहपुर	17.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		मसूर, अलसी, अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) ..		
4. हनुमना	..				
5. हजूर	5.1				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	2.0		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, कौंदो-कुटकी, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गोहपारू	30.0				
4. जैसिंहनगर	13.0				
5. बुढार	10.2				
6. जैतपुर	3.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	37.8		4. (1) मक्का, धान कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	25.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	17.6				
4. पुष्पराजगढ़	53.4				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	49.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	33.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	53.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	2.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	8.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	27.2				
4. कुसमी	6.0				
5. चुरहट	5.5				
6. रामपुरनैकिन	1.9				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	70.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	43.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	115.0				
4. गरोठ	80.3				
5. मन्दसौर	22.0				
6. श्यामगढ़	66.2				
7. सीतामऊ	90.0				
8. धुन्धड़का	60.0				
9. संजीत	81.0				
10. कयामपुर	24.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	1.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	34.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	53.0				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापिपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकरखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	11.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	11.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	7.4				
4. झाबुआ	18.3				
5. राणापुर	15.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	168.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	163.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	61.6				
4. सोण्डवा	172.0				
5. उदयगढ़	180.2				
6. चं.शेखरआ. नगर	171.1				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	80.6		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना, कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	69.1		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	66.7				
4. कुक्षी	37.3				
5. मनावर	62.0				
6. धरमपुरी	43.0				
7. गंधवानी	62.5				
8. डही	73.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	316.8		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	126.6		अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	218.5		धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	67.6		(2) ..		
5. गोगावां	109.9				
6. कसरावद	101.2				
7. भगवानपुरा	112.0				
8. भीकनगांव	185.3				
9. झिरन्या	130.0				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	34.2				
2. ठीकरी	82.0				
3. राजपुर	140.0				
4. सेंधवा	163.3				
5. पानसेमल	59.0				
6. पाटी	91.0				
7. निवाली	70.4				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	19.4				
2. खकनार	41.1				
3. नेपानगर	6.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक. गन्ना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	55.0				
2. खिलचीपुर	96.8				
3. राजगढ़	88.6				
4. ब्यावरा	34.8				
5. सारंगपुर	65.0				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	153.0				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	40.5				
2. बेरागढ़	61.1				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	165.0				
2. आष्टा	64.0				
3. इछावर	103.0				
4. नसरुल्लागंज	105.0				
5. बुधनी	172.0				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	45.6				
2. गैरतगंज	51.8				
3. बेगमगंज	35.0				
4. गौहरगंज	97.0				
5. बरेली	46.4				
6. सिलवानी	46.4				
7. बाड़ी	87.5				
8. उदयपुरा	91.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	137.8				
2. घोड़ाडोंगरी	129.0				
3. शाहपुर	98.0				
4. चिचोली	92.4				
5. बैतूल	116.6				
6. मुलताई	132.0				
7. आठनेर	150.3				
8. आमला	67.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	53.0				
2. होशंगाबाद	128.4				
3. बावई	70.0				
4. इटारसी	92.4				
5. सोहागपुर	50.0				
6. पिपरिया	53.5				
7. वनखेड़ी	26.4				
8. पचमढ़ी	46.2				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
*जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	53.1				
2. रीठी	22.0				
3. विजयराघौगढ़	12.0				
4. बहोरीबंद	9.2				
5. ढीमरखेड़ा	10.0				
6. बड़वारा	45.0				
7. बरही	9.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	159.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	94.0				
4. गोटेगांव	10.0				
5. तेन्दूखेड़ा	133.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	21.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	93.9		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	55.5				
4. मण्डला	77.8				
5. घुघरी	110.9				
6. नारायणगंज	50.6				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं मक्का, सोयाबीन एवं धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	242.4		4. (1) तुअर बिगड़ी हुई, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	129.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	28.8				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	69.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	97.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	126.4				
4. जामई (तामिया)	25.2				
5. सोंसर	110.4				
6. पांडुर्णा	246.2				
7. अमरवाड़ा	86.9				
8. चौरई	75.5				
9. बिछुआ	105.5				
10. हरई	39.3				
11. मोहखेड़ा	121.4				
*जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सिवनी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला अशोकनगर, दमोह, खण्डवा, जबलपुर, सिवनी जिलों से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(535)